दिनांक	हुक्म
6-10-23	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखेते है। अभिभाषकगण अन्य कार्य मे व्यस्त है। अतः पत्रावली साबिक कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 24-11-23 को पेश हों।
24-11-23	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखेते है। अभिभाषकगण अन्य कार्य मे व्यस्त है। अतः पत्रावली साबिक कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 12-01-24 को पेश हों।
12-01-24	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी P.O. का स्थानान्तरण राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखेते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 22-03-24 को पेश हों।
22-03-24	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 12-03-24 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व वकालतनामा रिकॉर्ड पर लिया जाए। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत तथ्यो दोहराते हुए निवेदन किया कि लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपनी स्वेच्छा से प्रार्थी प्रार्थना पत्र को आगे नही चलना चाहते है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पहचान पत्र से पहचान की गई तथा साक्ष्य हेतु प्रार्थी अधिवक्ता श्री अब्दुल सत्तार के हस्ताक्षर आदेशिका पर करवाये जाये। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पैरवी करने से इन्कार करते हुए प्रार्थना पत्र को नोट प्रेस कर प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया। अतः प्रार्थना पत्र अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। पुनस्थापन स्तना।

Not Press

उपखण्ड अधिकारी

PTO

में जारी

लिखने पर पत्रावली का अवलोकन किये जाने पर यह जानकारी में आया प्रार्थना पत्र सं 52/2017 बउनवान जानकी बाई वगै० बनाम भगवान दास वगै० प्रार्थना पत्र सं 50/2016 के साथ कंन्सोलिडेट किया गया है प्रार्थिगण जानकी बाई व भागचन्द की ओर से प्रा० पत्र 52/2017 को नोट प्रेस पर खारिज करने का प्रार्थना पत्र दिनांक 12-03-24 को पेश किया जो शामिल फाईल है। प्रार्थी सं 2 व 5 अनुपस्थित रहने व प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र नोट प्रेस किया जाने से प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] (बून्दी)